(67)

(57)

समक्ष- सदस्य मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल (म.प्र.)

प्र.क्र. निग - 2997 - II -16

रामश्रीबाई विधवा हरिचरण वयस्क जाति दांगी
उम्र 60 साल निवासी ग्राम कसारखेड़ी तहसील श्यामपुर
जिला सीहोर म.प्र. ------------------------------निगरानीकर्ता

विरुद्ध

दिनेश कुमार पुत्र ज्ञानसिंह आयु 30 साल जाति दांगी
निवासी ग्राम कसारखेडी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर
2-म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर महोदय सीहोर-----------रैस्पान्डेन्टस

श्री-एस0के0 गुप्ता अधि0 द्वारा आज दिनांक 30/8/16 को प्रस्तुत।
30/8/16

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता. विरूद्ध आदेश दिनांक 17/8/2016, प्र.क्र. 4/अ-70/13-14 दिनेश कुमार विरूद्ध रामश्रीबाई पारित द्वारा श्रीमान नायब तहसीलदार टप्पा दोराहा तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर।

31/8/2016

महोदय,

निगरानीकर्ता मा.अधि.न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट एंव दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एंव विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करती है :-

-: प्रकरण के तथ्य :-

1:- यहकि रैस्पान्डेन्ट/आवेदक ने धारा-250 म.प्र.भू.रा.सं. के अंतर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत कर भूमि सर्वे नंबर 76/1ख रकबा 3-53 एकड में से 3=03 एकड भूमि पर कब्जा निगरानीकर्ता/अनावेदिका रामश्रीबाई से दिलाई जाने की प्रार्थना कर प्र.क्र.4/अ=70/13-14 पंजीबद्ध कराया ।

2:- यहकि प्रकरण के विचारण काल में निगरानीकर्ता ने धारा 250 भू.रा.सं. वाले आवेदनपत्र का उत्तर प्रस्तुत किया और 6 वर्ष पूर्व बटवारा बाहमी तौर पर होना दर्शाया । तदानुसार कब्जा अनावेदिका का बाहमी बटवारा के पालन में हुआ होने के कारण धारा 250 भू.रा.सं. का आवेदनपत्र विधि विरूद्ध व क्षेत्राधिकार रहित होना एंव अवधि बाधित होने से निरस्त किया जाना निरूपित कियागया।

3:- यहकि प्रकरण के विचारण काल में ही निगरानीकर्ता/अनावे0 ने पैतृक भूमि किता 10 रकबा 33-94 एकड लगान रूपये 121-37 पैसे के 1/2 भाग का बाहमी बटवारा ज्ञानसिंह एंव अन्य सह खातेदारों के बीच

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2977–दो/2016 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–9–2016	आवेदक अधिवक्ता ने यह निगरानी नायब तहसीलदार टप्पा दोराहा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 4/अ–70/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 17–8–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेज का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अनावेदक की ओर से प्रस्तुत धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन कार्यवाही दिनांक 29–5–15 एवं 30–5–15 के दस्तावेज रिकार्ड पर लेने तथा आवेदन पत्र धारा 32 भू.रा. सं. एवं आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश दिनांक 17–8–16 को अंतरिम आदेश पारित आवेदक की आपत्ति को निरस्त किया है। नायब तहसीलदार के विचाराधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में वर्णित विषयवस्तु खं. नं. 121/73 के संबंध में है जबकि प्रस्तुत प्रकरण 76/1ख के सीमांकन कासर्यवाही दिनांक 26–5–11 के आधार अनाधिकृत कब्जे को बेदखल करने के संबंध में है तथा प्रस्तुत दस्तावेजों की विषय वस्तुत भिन्न होने से आवेदक द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन आवेदन पत्र निरस्त किया है। नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का विस्तार से विवेचना कर आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	